नवीन जिन्दल

बनाम

असि. कमिश्नर ऑफ इनकम टेक्स

(सिविल अपील नं 634/2006)

11 जनवरी, 2010

(एस.एच. कपाडिया, एच.एल. दत्ता एण्ड दीपक वर्मा, न्यायाधिपतिगण)

आयकर अधिनियम, 1961

अधिकार के आधार पर सममूल्य पर आंशिक रूप से अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्रों की सदस्यता के लिए करदाता को दिया गया प्रस्ताव- करदाता द्वारा अधिकार का परित्याग- अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों के ग्रहण करने के अधिकार के परित्याग पर इक्विटी शेयरों के मूल्य में कमी के कारण हानि- अभिनिर्धारित- करदाता द्वारा अल्पकालिक नुकसान के रूप में सही दर्शाया गया- राजस्व विभाग द्वारा दीर्घकालीन वृद्धि के रूप में बरतना गलत है।

2006 की सिविल अपील सं. 234 में निर्धारिती के पास एक कम्पनी के 1500 इक्विटी शेयर थे। राईट्स बेसिस पर नकद सममूल्य पर उस कम्पनी ने 1992 में 110/- रूपये वाले 12.5 प्रतिशत सुरक्षित इक्विटी

शेयर पी.सी.डी. (अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र) के निर्गमन की घोषणा की। निर्धारिती को राईट्स बेसिस पर 1875 पीसीडी की सदस्यता लेने का प्रस्ताव मिला। उसने 15 फरवरी, 1992 में 30/- रूपये प्रति राईट की दर से किसी अन्य कम्पनी के पक्ष में पीसीडी की सदस्यता लेने के अपने अधिकार का परित्याग किया। उक्त अधिकार के परित्याग के परिणामस्वरूप उसे 56,250/- रूपये प्राप्त हुए। उक्त विक्रय प्रतिफल के विरूद्ध निर्धारिती को 200/- रूपये प्रति शेयर की दर से 1500/- मूल इक्विटी शेयरों के कुल 3,00,000/- रूपये मूल्य में कमी वहन करनी पड़ी। परिणामस्वरूप निर्धारिती ने उक्त 2,43,750/- रूपये की हानि को अल्पकालिक पूंजीगत हानि के रूप में दर्शाया। जबकि राजस्व ने इसे दीर्घकालीन पूंजीगत हानि के रूप में मानते हुए निर्धारिती की आय की गणना की। अन्य अपीले समान परिस्थितियों में दायर हुई थी।

न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रश्न यह था कि - क्या निर्धारिती के दावे के अनुसार 2,43,750/- रूपये एक अल्पकालिक पूंजीगत हानि थी या राजस्व के निर्धारण के अनुसार वह एक दीर्घकालिक पूंजीगत हानि थी?

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि -

1.1 निर्धारिती द्वारा वहन की गई 2,43,750/- रूपये की हानि अल्पकालिक पूंजीगत हानि थी। निर्धारिती द्वारा पूंजीगत लाभ मद में की

गई आय की गणना सही थी व विभाग द्वारा की गई गणना त्रुटिपूर्ण थी। (पैरा-14) (270-सी-डी)

1.2 कम्पनी में विद्यमान शेयर होल्ड़िग के बल पर राईट्स बेसिस पर शेयर/ऋण पत्र की सदस्यता लेने के अधिकार का अतिरिक्त प्रस्ताव तब अस्तित्व में आता है जबकि कम्पनी राइट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। ऐसा अधिकार मूल शेयर होल्ड़िग में अन्र्तवलित होने के बावजूद इससे पहले अपरिपक्व होता है। यह तभी स्पष्ट होता है जब कम्पनी द्वारा राईट्स ऑफर की घोषणा की जाती है। अतः अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता के अधिकार के परित्याग पर लाभ हानि की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख यह है कि जिस दिन अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता का अधिकार अस्तित्व में आता है या वह दिन जब ऐसा अधिकार हस्तान्तरित (परित्याग) किया जाता है। ऐसा अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता लेने का अधिकार एक विशिष्ठ स्वतन्त्र व पृथक अधिकार है जो ऐसे अधिकार के ऑफर के बल पर मौजूद शेयर होल्ड़िग के स्वतन्त्र रूप से हस्तान्तरित किये जाने योग्य है।

1.3 अधिनियम की धारा 48 के प्रयोजन से यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए कि दायित्व व गणना साथ-साथ चलते है। अधिनियम के तहत गणना दायित्व आवश्यक तत्व है। इसी कारण से कि शेयर/गणपत्रों की सदस्यता का अतिरिक्त प्रस्ताव का अधिकार तभी

अस्तित्व में आता है, जबकि कम्पनी राईट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। ऐसा केवल तभी होता है जब वह घटना घटती है, जिससे निर्धारिती द्वारा रखे गये मूल शेयरों के मूल्य में कमी आती है। मूल शेयरों के मूल्य में कमी को महत्व देना होगा, जो तब होता है जब कम्पनी राईट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। (पैरा 9) (264-ई-जी)

मिस धुन दादाभाई कपाड़िया बनाम टेक्स कमिश्नर बोम्बे (1967) 63 आईटीआर 651 पर आधारित।

केस लॉ रेफरेन्स:

(1967) 63 आईटीआर	रिलाईड ऑन	पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 634/2006

पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के आयकर अपील संख्या 55/2002 मे पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.08.2005 से।

साथ

सी.ए. नं. 635, 636, 637 एवम 639/2006 ।

अजय वोरा, कविता झा, संदीप एस.करहाइल, मनोज स्वरूप अपीलार्थी की ओर से।

बी.वी.भट्टाचार्या, एएसजी, अरीजीत प्रसाद, राहुल कौशिक, नरेश कौशिक, बी.वी.बालाराम दास प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायमूर्ति, एस.एच.कपाडिया, द्वारा निर्णय पारित किया गया:-

1. उभय पक्षकारान को सुना गया।

2. इस सिविल अपील में विचारण जो सुक्ष्म बिन्दु उद्भूत हुआ है, वह यह है कि अपीलार्थी(गण) निर्धारिती(गण) के द्वारा वहन की गई हानि की प्रकृति क्या है- निर्धारिती(गण) की ओर से दिये गये तर्कानुसार 2,43,750/-रूपये एक अल्पकालिक पूंजीगत हानि थी, या जैसा कि राज्य की ओर से दिये गये तर्कानुसार एक दीर्घकालिक हानि थी।

3. सिविल अपील नं0 634/2006 जो कि मुख्य मामला है, जिसमे हमे 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के संबंध में विचार करना है।

4. निर्धारिती जिन्दल आयरन एण्ड़ स्टील कम्पनी लिमिटेड़ (संक्षेप में जेआईएससीओ) में एक शेयर धारक था। उक्त कम्पनी ने जनवरी, 1992 में शेयर धारको को राईट्स बेसिस पर व कर्मचारियों को इम्विटेबल बेसिस पर 110/- रूपये के नकद सममूल्य पर 12.5 प्रतिशत इक्विटी सुरक्षित पीसीडीएस (अंशतः परिवर्तनीय पर 12.5 प्रतिशत) इक्विटि सुरक्षित पीसीडीएस (अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र) जारी करने की घोषणा

की। यह इश्यू फरवरी 1992 में सदस्यता के लिए खुला और मार्च 1992 में बंद हुआ। निर्धारिती के पास जेआईएससीओ के 1500 शेयर थे। निर्धारिती को राईट्स बेसिस पर जे आई एस सीओ के 1875 शेयरों की सदस्यता का प्रस्ताव मिला। निर्धारिती ने 30 रूपये प्रति राईट की दर से उक्त पीसीडीएस के अपने अधिकार को 15 फरवरी 1992 कोलेरेडो ट्रेडिग कम्पनी के पक्ष में त्याग किया। तद्नुसार निर्धारिती को उक्त अधिकार त्याग के लिए 56,250/- रूपये प्राप्त हुए। उक्त विक्रय प्रतिफल के पेटे निर्धारिती को निम्नलिखित प्रकार से 1500 मूल इम्विटी शेयर के मूल्य में कमी वहन करनी पड़ी 3 जनवरी 1992 को प्रति शेयर का का अधिकार सहित मूल्य 625 रूपये था, 6 जनवरी 1992 को अधिकारों के बिना प्रति शेयर का मूल्य 425 रूपया था, इस प्रकार नुकसान 200 रूपया प्रति शेयर था। परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा वहन की गई पूंजीगत हानि 3,00,000/-(1500 ग 200) रूपये थी, जबकि उसे 1875/-पीसीडीएस के परित्याग पर 56250 रूपये ही प्राप्त हुए।

5. घटनाओं के कालक्रम को पूर्ण करने के लिए 7 अगस्त 1991 को निर्धारिती ने जेएसएल के 8460 इक्विटी शेयर 240 प्रति शेयर की दर से बेचे, जिनका कुल प्रतिफल 20,30,400/- हुआ, जिनमे अधिग्रहण की लागत 3,63,200/- रूपये थी और परिणामस्वरूप उक्त संव्यवहार से निर्धारिती को कुल 16,67,200/- रूपये का दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ।

इसी प्रकार निर्धारिती ने सॉ पाईप्स लिमिटेड (संक्षेप में एसपीएल) के 7000 शेयर 103 रूपया प्रति शेयर की दर से कुल 7,21,000/- के कुल प्रतिफल मूल्य के बेचे 70,000/- रूपये अधिग्रहण लागत के रूप में कटौती की। परिणामस्वरूप "दीर्घकालीन पूंजीगत" मद में कुल 6,51,000/- रूपये का दीर्घकालीन पूंजीलाभ हुआ। इस प्रकार निर्धारिती ने दीर्घकालीन पूंजीलाभ मद में कुल 23,18,200/- (16,67,200/- + 6,51,000) रूपये अर्जित किये। ये आंकड़े विवादित नहीं है। यद्यपि दोनों तरफ की गणनाओं में सूक्ष्म अंतर है जो महत्वपूर्ण नहीं है।

6. इन सिविल अपीलों में हानि की मात्रा का मुद्दा नहीं है। एक भाग प्रश्न जो इस न्यायालय को तय करना है वह नुकसान की प्रकृति है। निर्धारण अधिकारी ने पीसीडी सदस्यता के अधिकार के त्याग पर 2,43,750/- रूपये की हानि की गणना स्वीकार की, लेकिन इसे दीर्घकालीन पूंजीगत हानि के रूप में माना। परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48(2) के तहत वैधानिक कटौती की राशि से दीर्घकालीन पूंजीगत हानि की राशि कम कर दी। यह गणना ही निर्धारितीयों द्वारा सिविल अपीलों के इस बैच द्वारा दी गई, चुनौती की विषय वस्तु है।

7. उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमे विवादग्रस्त प्रश्न से संबंधित आयकर अधिनियम 1961(संक्षेप में अधिनियम) के सुसंगत प्रावधानों को उद्धत करना आवश्यक समझते है।

> "2(29 ए) 'दीर्घकालिक पूंजी आस्ति' से ऐसी पूंजी आस्ति अभिप्रेत है, जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है।
>
> 2(42 ए) 'अल्पकालीन पूंजी आस्ति' से उसके अन्तरण की तारीख से ठीक पहले के छतीस मास से अनाधिक के लिए निर्धारिती द्वारा धारित कोई पूंजी आस्ति अभिप्रेत है।
>
> 45(1) किसी पूंजी आस्ति के पूर्व वर्ष में किये गये अन्तरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ धारा 53, 54, 54 ख, 54 घ, 54 ड, 54 च, 54 छ में अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य होगें और इस पूर्व वर्ष की आय समझे जायेगें जिसमे अन्तरण हुआ है।
>
> 48(1) 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय की गणना निम्न प्रकार की जाएगी,-
>
> (ए) पूंजीगत परिसम्पति के हस्तान्तरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल के पूर्ण मुल्य मे से निम्नलिखित राशियां घटाकर, अर्थात्:-

(i) ऐसे हस्तान्तरण के संबंध मे पूर्णः और विशेष रूप से किये गये व्यय;

(ii) परिसम्पति के अधिग्रहण की लागत व उसके किसी भी सुधार की लागत;

परन्तु ऐसी निर्धारिती के मामले मे जो एक अनिवासीय भारतीय है एवं भारतीय कम्पनी के शेयर या ऋण पत्र वाले पूंजीगत सम्पति के हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाली पूंजीगत लाभ की गणना अधिग्रहण की लागत के किये गये व्यय को परिवर्तित करके की जाएगी। पूर्ण रूप से और विशेष रूप से इस तरह के हस्तान्तरण के संबंध मे और पूंजीगत परिसम्पति के हस्तान्तरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूरा मुल्य उसी विदेशी मुद्रा मे जिसके शुरूआत मे खरीद मे उपयोग किया गया था, शेयर या ऋण पत्र और ऐसी विदेशी मुद्रा मे गणना किये गये पूंजीगत लाभ को भारतीय मुद्रा मे पुनः परिवर्तित किया जाएगा, हालांकि एक भारतीय कम्पनी के शेयर, या ऋण पत्र के संबंध मे पूंजीगत लाभ की गणना का पूर्वोक्त तरीका उसके बाद प्रत्येक पुनः निवास से रहित या उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के संबंध मे लागू होगा।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजन से-,

(i) ‘अनिवासी भारतीय‘ का वही अर्थ होगा जो धारा 115 सी के खण्ड (ई) मे है;

(ii) ’विदेशी मुद्रा’ और ’भारतीय मुद्रा’ का वही अर्थ होगा जो उन्हे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 मे दिया गया है;

(iii) भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा मे रूपान्तरण और विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा मे पुनः रूपान्तरण इस संबंध मे निर्धारित विनियम दर पर होगा;

(बी) जहा पूंजीगत लाभ एक दीर्घकालिक पूंजीगत सम्पति के हस्तान्तरण से उत्पन्न होता है (इसके बाद इस खण्ड मे क्रमशः दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत सम्पति के रूप मे संदर्भित किया जाता है) उप-धारा (2) मे निर्दिष्ट अतिरिक्त कटौती करके।

(2) उपधारा 1 के खण्ड बी मे निर्दिष्ट कटौतियॉ निम्नलिखित है, अर्थात:-

(ए) जहा उप-धारा (1) के खण्ड(ए) के तहत् कटौती करने के बाद प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि पन्द्रह हजार रूपये से अधिक नही है, ऐसी पूरी राशि;

(बी) किसी भी अन्य मामले में, पन्द्रह हजार रूपये की वृद्धि के बराबर राशि-

(i) लम्बी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध मे पूंजीगत सम्पतियो से संबंधित, जैसे भवन या भूमि या भवन भूमि या सोना, बुलियन या आभूषण में कोई अधिकार,-

(ए) किसी कम्पनी के मामले मे पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का दस प्रतिशत;

(बी) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में, पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का पचास प्रतिशत;

(ia) उधम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयर से संबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संबंध में,--

(ए) उधम पूंजी कम्पनी के अलावा किसी अन्य कम्पनी के मामले में, पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का तीस प्रतिशत;

(बी) उधम पूंजी कम्पनी के मामले में, पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का साठ प्रतिशत;

(सी) किसी अन्य मामले मे, पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का साठ प्रतिशत;

(ii) उप-खण्ड (1) और (1ए) में निर्दिष्ट पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसम्पत्तियों से संबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संबंध में,--

(ए) किसी कम्पनी के मामले में, पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ का तीस प्रतिशत;

(बी) किसी अन्य मामले में, पन्द्र हजार रूपये से अधिक के ऐसे लाभ की राशि का साठ प्रतिशत;

परन्तु जहां दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उपखण्ड़ (1) और (2) में निर्दिष्ट पूंजीगत सम्पत्ति की दोनों श्रेणियों से संबंधित है, वहां पन्द्रह हजार रूपये की कटौती निम्नलिखित क्रम में की जायेगी, अर्थात:-

(1) कटौती की अनुमति सबसे पहले उपखण्ड़(1)में उल्लेखित परिसम्पत्तियों से संबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरूद्ध दी जायेगी;

(2) इसके बाद उक्त 15,000/- रूपये की शेष राशि यदि कोई हो, को उपखण्ड़ (2) में उल्लेखित परिसम्पत्तियों से संबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उपखण्ड़ (2) के प्रावधानों के खिलाफ कटौती के रूप में अनुमति दी जायेगी और उपखण्ड़ 2 के प्रावधान इस तरह लागू होगे मानो उसमे पन्द्रह हजार रूपये के संदर्भ में इस परन्तुक के खण्ड़(1) और (2) के अनुसार अनुमत कटौती राशि के संदर्भ में थी:

परन्तु यह और कि धारा 45 की उप धारा 5 के खण्ड़ (बी) के निर्दिष्ट राशि के संबंध में है, इस उप धारा के खण्ड़ (2) के तहत पन्द्रह हजार रूपये की प्रारम्भिक कटौती कटौती को कम की जायेगी 1 अप्रैल 1987 से शुरू होने वाली मूल्यांकन फीस के लिए मूल्यांकन में धारा 80 टी के खण्ड़ (ए) के तहत पहले से अनुमति दी गई है या किसी भी पहले मूल्यांकन वर्ष या जैसा भी मामला हो (खण्ड़ ए के तहत कटौती की अनुमति दी गई है) यह धारा 45 की उप-धारा 5 के खण्ड़(ए) में निर्दिष्ट मुआवजा या प्रतिफल की राशि के संबंध में है और इस उप धारा के खण्ड़ (ए) और (बी) में पन्द्रह हजार रूपये के संदर्भ में है, ऐसी कम की गई राशि

यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जायेगा। स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजन से-,

(ए) 'उधम पूंजी कम्पनी' का अर्थ ऐसी कम्पनी से है, जो मुख्य रूप से ऐसे उपक्रमों में इक्विटी शेयर को प्राप्त करने के माध्यम से या परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और यदि परिस्थितिवंश आवश्यक हो तो ऐसे उपक्रम को ऋण देने के माध्यम से उधम पूंजी उपक्रम को वैधता प्रदान करने में लागू हुई है और जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो;

(बी) उधम पूंजी उपक्रम का अर्थ ऐसी कम्पनी से है, जिसे निर्धारित प्रतिकर निम्नलिखित करको को ध्यान में रखते हुए उप धारा 2 के खण्ड (बी) के उपखण्ड़ (1 ए) के प्रयोजन के लिए दे सकती है:-

(1) जहां कम्पनी में कुल निवेश 10 करोड़ रूपये या इससे अधिक राशि जो विहित की गई हो तक हो;

(2) कम्पनी के उन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, जिसके लिए वह अन्यथा पेशेवर या तकनीकी रूप से सुसज्जित है;

(3) कम्पनी ऐसी किसी भी तकनीकी का उपयोग करना चाहती है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में किसी भी क्षेत्र में मौजूद तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार होगा और ऐसी तकनीक में निवेश में उच्च जोखिम शामिल है. ‘‘

8. निर्धारिती (यो) द्वारा दायर की गई उक्त अपीलें गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने योगय है। कम्पनी में मौजूदा शेयर हॉल्डिग के बल पर राईट्स आधार पर शेयरों/गणपत्रों की अतिरिक्त सदस्यता को ग्रहण करने के प्रस्ताव का प्राधिकार तब अस्तित्व में आता है, जब कम्पनी राईट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। इससे पूर्व यद्यपि ऐसा अधिकार मूल शेयर हॉल्डिग में अर्न्तनिहित होते हुए भी अपरिपक्व रहता है। यह तभी स्पष्ट होता है, जब कम्पनी द्वारा राईट्स ऑफर की घोषणा की जाती है। अतः अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता के अधिकार के परित्याग पर लाभ हानि की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख यह है कि जिस दिन अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता का अधिकार अस्तित्व में आता है या वह दिन जब ऐसा अधिकार हस्तान्तरित (परित्याग) किया जाता है। ऐसा अतिरिक्त शेयरों/ऋणपत्रों की सदस्यता लेने का अधिकार एक विशिष्ठ स्वतन्त्र व पृथक अधिकार है जो ऐसे अधिकार के ऑफर के बल पर मौजूद शेयर होल्ड़िग के स्वतन्त्र रूप से हस्तान्तरित किये जाने योग्य है।

9. अधिनियम की धारा 48 के प्रयोजन से यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए कि दायित्व व गणना साथ-साथ चलते है। अधिनियम के तहत गणना दायित्व आवश्यक तत्व है। इसी कारण से कि शेयर/गणपत्रों की सदस्यता का अतिरिक्त प्रस्ताव का अधिकार तभी अस्तित्व में आता है, जबकि कम्पनी राईट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। ऐसा केवल तभी होता है जब वह घटना घटती है, जिससे निर्धारिती द्वारा रखे गये मूल शेयरों के मूल्य में कमी आती है। मूल शेयरों के मूल्य में कमी को महत्व देना होगा, जो तब होता है जब कम्पनी राईट्स ऑफर लाने का निर्णय करती है। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि क्या सदस्यता ग्रहण करने के अधिकार का परित्याग कि लाभ-हानि/दीर्घकालीन लाभ/हानि है, महत्वपूर्ण तारीख वह है जिस दिन अतिरिक्त शेयरों!/ऋणपत्रों की सदस्यता लेने का ऐसा अधिकार अस्तित्व में आता है और वह तारीख जिस दिन ऐसे अधिकार का त्याग (हस्तान्तरण) किया जाता है।

10. हमारा यह नजरिया इस न्यायालय द्वारा निर्णित मामले सुश्री धुन दादाभाई कपाड़िया बनाम आयकर आयुक्त बोम्बे (1967) 63 आईटीआर 651 पर आधारित है जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त शेयरों के लिए सदस्यता के अधिकार के त्याग पर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, मूल शेयरों के मूल्य में कमी को ऐसे अधिकार के अधिग्रहण की लागत के रूप में माना जायेगा। (उक्त निर्णय का पृष्ठ सं.

654-655 देखें) । हम यहां उक्त नर्णिय के प्रासंगिक भाग को उद्धृत कर रहे है जो यह इंगित करता है कि नये शेयरों/ऋणपत्रों के लिए सदस्यता लेने का अधिकार एक अलग पूंजीगत सम्पत्ति है जो केवल तभी अस्तित्व में आती है, जब कम्पनी नये शेयरों के इश्यू के लिए प्रस्ताव पारित करती है:

> "अपीलार्थी के पास जो मूलतः धारित पूंजीगत सम्पत्ति थी उसमे कम्पनी के 710 साधारण शेयर थे। यह पूर्व प्रावधान था कि, यदि कम्पनी कोई नया शेयर जारी करती है, तो पुराने शेयरों का प्रत्येक धारक उतने साधारण शेयरों का हकदार होगा, जितने कि बोर्ड प्रस्ताव द्वारा निर्णय ले। यह अधिकार अपीलार्थी द्वारा धारित पुराने 710 शेयरों के स्वामित्व के आधार पर था और जब कम्पनी के बोर्ड ने नये शेयरों के इश्यू के लिए प्रसताव पारित किया तो अपीलार्थी का यह अधिकार इस सीमा तक परिपक्व होगया कि वह नये 710 शेयर प्राप्त करने की हकदार बनाई। इस अधिकार का प्रयोग उसके द्वारा स्वयं उनको निर्धारित दर पर खरीद कर किया जा सकता है या वह लेनदेन में मोद्रिक लाभ प्राप्त करते हुए उक्त शेयरों का परित्याग किए/दूसरे व्यक्ति के पक्ष में करते हुए कर सकती है। इसलिए जब

अपीलार्थी ने इन नये शेयरों पर अपने अधिकार का त्याग किया तो उस समय उसके पास जो पूंजीगत सम्पत्ति थी, उसमे उसके पुराने 710 शेयर और साथ ही नये 710 शेयरों को लेने का अधिकार शामिल था।“

"वैकल्पिक रूप से मामले की दूसरे पहले से जांच की जा सकती है। नये शेयर जारी होने के समय अपीलार्थी के पास 710 पुराने शेयर व 710 नये शेयर प्राप्त करने का अधिकार भी मिल गया था। जब उसने अपने इस 710 नये शेयर प्राप्त करने के अधिकार का विक्रय कर 45,262.50 रूपये वसूल लिये, उसने अपने इस अधिकार को पूंजीगत किया और उसे धन में परिवर्तित कर लिया। अधिकार का मूल्य नये शेयरों के अंकित मूल्य में वृद्धि के विरूद्ध पुराने शेयरों के मूल्यहास को समायोजित करके मापा जा सकता है। परिणामस्वरूप उसके मूल शेयरों में मूल्यह्रास की हद तक यह माना जाना चाहिए कि उसने इस नये अधिकार के अधिग्रहण में अपना धन विनियोजित किया। नये अधिकार का अधिग्रहण पुराने शेयरों के मूल्य में मूल्यहास का सहगामी था। और व्यवसायिक अर्थ में मूल्यह्ास उस अधिकार का मूल्य माना जा सकता है जो उसने बाद में

हस्तान्तरित किया था। इसलिए उसके द्वारा बनाये गये पूंजीगत लाभ को केवल अधिकार के हस्तान्तरण पर प्राप्त धन और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए मूल शेयरों पर मूल्यहास के रूप में खोई गई राशि के बीच के अन्दर से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा शुद्ध पूंजीगत लाभ को उसके द्वारा नये शेयर प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित करने पर। इसे इस प्रकार देखने पर भी यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा शुद्ध पूंजीगत लाभ को उसके मूल शेयर के मूल्य में मूल्यहास की राशि कटौती के बाद नये शेयर प्राप्त करने का अधिकार हस्तान्तरित करने पर प्राप्त राशि जो कि लेनदेन में उसकी पूंजीगत सम्पत्ति है, में उसे हुई हानि को दर्शाया जायेगा। जिसमे उसने अधिकार प्राप्त किये थे, जिसके लिए उसे नकद राशि प्राप्त हुई थी। लेनदेन का यह तर्क भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसका संकेत पूर्व पैरा में दिया गया है।"

11. धारा 48 ‘‘पूंजीगत लाभ‘‘ शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना के तरीके से संबंधित है, उक्त धारा के तहत ऐसी आय की गणना पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रतिफल के पूर्ण मूल्य ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में पूर्ण व विशेष रूप से किये

गये व्यय और अधिग्रहण की लागत को घटा कर की जानी चाहिये। अधिनियम की धारा 48(1)(बी) के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पूंजीगत लाभ किसी दीर्घकालीन पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हुई हो तब हस्तान्तरण के संबंध में किये गये व्यय और परिसम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत के अलावा एक और कटौती जैसाकि अधिनियम की धारा 48(2) में विर्निदिष्ट है और जो मानक कटौती के समान है, आवश्यक हो जाती है।

12. इन सिविल अपीलों में मूल विवाद उस प्रक्रम से संबंधित है, जिस पर अधिनियम की धारा 48(2) लागू हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए हम यहां निम्नांकित सारणी संलगन करते है जो पूंजीगत लाभ शीर्षक के तहत आय की गणना से दर्शित है, जिसमे एक तरफ निर्धारिती द्वारा अनुमानित स्टेटमेंट जो दूसरे निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया अनुमान है।

पूंजीगत लाभ/हनि	निर्धारिती के अनुसार	निर्धारिती अधिकारी के अनुसार
पूंजीगत लाभ/हनि (ए अल्पकालिक विक्रय मूल्य 15-	56250	

02-92 को 30 रूपये प्रति शेयर पर कोलोरेड ट्रेडिग कम्पनी लि से जेआईएससीओ की 1875 राईट पीसीडज पेशकश का त्याग घटाये- जेआईएससीओ के 1875 राईट पीसीडी के ऑफर की लागत जो कि निम्न प्रकार से 1500 इक्विटी शेयर के मूल्य में कमी	-300000 -243750	

सह अधिकार प्रतिशेयर की 3-01-92 को कीमत 625 घटाये- 06-01-92 को बिना अधिकार प्रति शेयर मूल्य 425 अन्तर 200 1500 शेयर पर 200 रूपये प्रति शेयर मूल्य (ए)		
बी दीर्घकालीन 1 आईजेएसएल के 8460 शेयरों की दिनांक 07-08-91 को 240 रूपये प्रति शेयर की बिक्री पर	1667200	1667200

घटाओ- 2030400 अधिग्रहण की कुल लागत 363200 2 सॉ पाईप्स लिमिटेड के 7000 इक्विटी शेयर की दिनांक 20-06-91 को 103 प्रति शेयर की दर से बिक्री पर घटाये: 721000 जेआईएससीओ के 1500 मूल शेयरों	651000 2318200	651000 2318200

के मूल्य हॉस के कारण दीर्घकालिन पूंजीगत हानि जिसके परिणामस्वरूप पीसीडीज के राईट इश्यू हुआ या उक्त कारणों से वसूला गया लाभ घटाओं:- धारा 48(2 के तहत कटौतीयां 15000 रूपये पर 100 प्रतिशत 2303200 पर 60 प्रतिशत (बी		

पूंजीगत लाभ मद के तहत शुद्ध आय (ए $ (बी		

13. उक्त सारणी के विश्लेषण पर यह पाते है कि निर्धारिती के अनुसार पूंजीगत लाभ के तहत कर योग्य शुद्ध आय 6,77,530/- रूपये है जबकि निर्धारण अधिकारी के अनुसार शुद्ध आय 8,28,980/- रूपये है। निर्धारिती के अनुसार उसके द्वारा वहन की गई हानि जो कि सारणी में दर्शाया गया है वह 2,43,750/- रूपये अल्पकालीन पूंजीगत हानि है, जो कि निर्धारिती को अपने पीसीडीज की सदस्यता ग्रहण करने के अधिकार के विक्रय से उत्पन्न हुई निर्धारिती को जेएसएल व एसपीएल के शेयर के विक्रय से मिलने वाले दुर्घकालीन लाभ 23,18,200/- रूपये था, जिस पर निर्धारिती द्वारा धारा 48(2) लागू की गई। धारा 48(2) को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप मानक कटौतीयां 13,96,920/- रूपये हुई। तदनुसार धारा 48 के अधीन गणना किये गये दुर्घकालीन परिलाभ जो कि निर्धारित तिथि को जेएसएल और एसपीएल के शेयर के विक्रय से उत्पन्न हुई वह 9,21,280/- रूपये हुई, जिससे निर्धारिती में हानि के रूप में 2,43,780/- रूपये कटौती के परिणामस्वरूप उसकी शुद्ध आय 6,77,530/- रूपये हुई। दूसरी तरफ निर्धारण अधिकारी के अनुसार निर्धारिती को जेएसएल व एसपीएल के शेयर की बिक्री पर उत्पन्न हुए दुर्घकालीन लाभ 23,31,200/-

रूपये (गणना में अन्तर नगण्य है) उक्त 23,31,200/- रूपये के आय को निर्धारण अधिकारी ने 2,43,680/- रूपये दीर्घकालीन हानि के रूप में धारा 48(2) के तहत कटौती के रूप में गणना की परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी द्वारा 6,80,580/- रूपये के आकड़े के मुकाबले शुद्ध आय 8,28,980/- रूपये है। उक्त विष्लेषण पक्षकारों के मध्य विवाद को दर्शित करता है। निर्धारिती 2,43,750/- रूपये को अल्पकालिक हानि मानता है और इसलिए वह जेएसएल और एसपीएल के शेयरों की बिक्री से 23,18,200/- रूपये के दीर्घकालीन लाभ पर धारा 48(2) के तहत मानक कटौती को लागू करता है जबकि निर्धारण अधिकारी 2,43,680/- रूपये के नुकसान को एक दीर्घकालीन नुकसान मानते हुए उसके आधार पर 20,87,450/- रूपये के आकड़े पर धारा 48(2) के तहत कटौती लागू करता है।

14. उपरोक्तानुसार हमारी राय में निर्धारिती द्वारा वहन की गई 2,43,750/- रूपये की हानि एक अल्पकालीन हानि थी। इसलिए हमारी नजर में ‘‘पूंजीगत लाभ‘‘ मद में निर्धारिती द्वारा की गई गणना जैसा उसने चार्ट द्वारा दर्शाया है, वह सही है। दूसरे शब्दो में निर्धारिती द्वारा पूंजीगत लाभ मद में दर्शा कर प्रस्तुत की गई आय की गणना सही है तथा विभाग द्वारा की गई आय की गणना त्रुटिपूर्ण है।

तद्नुसार, खर्चे के संबंध में कोई आदेश दिये बिना निर्धारितीयों द्वारा दायर की गई सिविल अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी.

अपीलें स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भारत भूषण पाठक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।